

बअदालत :-सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बईजलास :-रामरख मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:-166/2016


सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

1. मुखराम पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. संतराम पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. महावीर प्रसाद पुत्र दलीप सिंह जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्री भूपराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

—वादीगण

बनाम

1. मुन्नीदेवी पुत्री श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. भूपराम पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. चावली देवी पत्नी श्री दलीप जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गुडडी देवी पुत्री श्री दलीप कुमार जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुभाष चन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. धर्मवीर पुत्र साहबराम जाति बिश्नोईनिवासी जगतसिंह वाला 7 एन.पी.पी.ओ. जिला श्री गांगानगर (राज.)
7. तुलसीदेवी पत्नि श्री रामनारायण जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. राजीव पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



347005 अधिकारी
संगरिया

79
पर काबिज होकर काष्ठ करते चले आ रहे हैं। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(अ) वादी सं. 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भानीराम हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/163	44	1.2/0.253 है.प्र., 3/0.126 है., 10/0.116 है., 22/0.233 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/0.228 है.

मुम. 1.715 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 1.740 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	20/2/0.113 है.

कुल 0.113 है. मुम. कृषि भूमि

(ब) वादी सं. 2 मुखराम पुत्र श्री भानीराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/163	44	16/0.228 है., 17,18/0.253 है.प्र., 19/0.243 है.

मुम. 0.977 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 1.002 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	20/4/0.030 है.
164/162	33	19,22/0.253 है.प्र.

कुल 0.536 है. मुम. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/164	11	7/0.253 है. कुल 0.253 है. मुम. कृषि भूमि

(स) वादी सं. 3 ओमप्रकाश पुत्र श्री भानीराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	20/5/0.047 है., 21/2/0.120

164/162	33	11/2/0.203 है., 20,21/0.215 है.प्र.
---------	----	-------------------------------------

मुम. 0.800 है. + गै.मु. 0.114 है., कुल 0.914 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/164	11	3/0.243 है., 4/0.253 है., 5/0.228 है., 8/0.243 है.

मुम. 0.967 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 0.992 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(द) वादी सं. 4 संतराम पुत्र श्री भानीराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/163	43	1/0.228 है.

मुम. 0.228 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	21/2/0.091 है.
164/162	33	24/0.243 है., 25/0.243 है. कुल 0.577 है. मुम. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/164	11	6,15/0.228 है.प्र., 13,14/0.253 है.प्र.

मुम. 0.962 है. + गै.मु. 0.050 है., कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(य) वादी सं. 5 महावीर प्रसाद पुत्र श्री दलीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------

164 / 163 44

3 / 1 / 0.127 है., 4 / 0.253 है.

कुल 0.380 है. मुम. कृषि भूमि

(र)

वादी सं. 6 सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्री भूपराम के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74 / 47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

164 / 163 44 5 / 0.228 है.

मुम. 0.228 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149 / 128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं. मु.नं. कि.नं.

165 / 162 32 21 / 1 / 0.042 है.

कुल 0.042 है. मुम. कृषि भूमि

(ल) वादी सं. 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भानीराम, वादी सं. 2 मुखराम पुत्र भानीराम, वादी सं. 3 ओमप्रकाश पुत्र भानीराम, वादी सं. 4 संतराम पुत्र श्री भानीराम, वादी सं. 5 महावीर प्रसाद पुत्र दलीप सिंह, वादी सं. 6 सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भूपराम के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की ब.हि.ब की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74 / 47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

164 / 163 44 10 / 3 / 0.010 है., 19 / 0.010 है.,

22 / 2 / 0.020 है.

कुल 0.040 है. मुम. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149 / 128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं. मु.नं. कि.नं.


164 / 162 33 11 / 0.013 है., 21 / 0.010 है., 22 / 1 / 0.010 है.

मुम. 0.020 है. + गै.मु. 0.013 है., कुल 0.33 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10 / 70 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

164 / 164 11 3 / 1 / 0.10 है. 8 / 1 / 0.010 है.



समिति

१५

कुल 0.020 है. मुम. कृषि भूमि कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सांझा खाता की कृषि भूमि है। जिसका घरु विभाजन काप्त की सुविधानुसार काफी समय पूर्व कर दिया था। मुताबिक घरु विभाजन वादीगण अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर काप्त कर रहे है। मुताबिक घरु विभाजन चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 74/47 में वादी सं. 1 को 1.740 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 2 को 1.002 है., कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 4 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 5 को 0.380 है., कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार तथा वादी सं. 6 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित करवा वादी सं. 1,2 व 4 के हिस्से बंटवारानुसार घटाने व बढ़ाना चाहते है तथा वादी सं. 3 एवं अन्य सहहिस्सेदारान के पास उक्त खाता की कृषि भूमि पर कब्जाकाप्त नही होने के कारण नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 में वादी सं. 1 को 0.113 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 2 को 0.536 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 3 को 0.914 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 4 को 0.577 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार तथा वादी सं. 6 को 0.042 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित करवा मृतक भानीराम पुत्र मलुराम का नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 10/70 मे वादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार, वादी सं. 3 को 0.992 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार तथा वादी सं. 4 को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित करवा वादी सं. 1,5 व सहहिस्सेदारान का उक्त खाता की कृषि भूमि पर कब्जाकाप्त नही होने के कारण नाम कलमजन करवाना चाहते है। इसी कदर की घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण बंटवारा अनुसार सयुक्त रूप से चक 16 बी.जी.पी के खाता सं. 74/47 में 0.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काप्तकार तथा चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 10/70 में 0.020 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काप्तकार तथा चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 में 0.033 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काप्तकार घोषित करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 के पं.नं. 164/162 के मु.नं. 33 के कि.नं. 11 की 0.013 है. कृषि भूमि का रास्ता मन्जुर करवा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। कि वादीगण उक्त बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काप्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाप्त बाबत कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदिराज्य सरकार को अदा करने में अनेको कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है तथा सीव बट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अनदेखा रहता हैं। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काप्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करवा देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे लेकिन गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये, बस यही वाद कारण है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1,2,15,16 की ओर जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल किया गया प्रतिवादी सं. 1 ता 9,10 ता 14 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई साक्ष्यवादी में वादी मुखराम का शपथ पत्र पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। इसीलिए साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बन्द की जाती है। वादी की शहादत समाप्त की।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है एवं प्रकरण में विरोधाभास नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किये जान योग्य है। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के बाद वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

उक्त के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 74/47 में वादी सं. 1 को 1.740 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 2 को 1.002 है., कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 4 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 5 को 0.380 है., कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार तथा वादी सं. 6 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार घोषित करवा वादी सं. 1,2 व 4 के हिस्से बंटवारानुसार घटाने व बढ़ाना चाहते है तथा वादी सं. 3 एवं अन्य सहहिस्सेदारान के पास उक्त खाता की कृषि भूमि पर कब्जाकाफ्त नही होने के कारण नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 में वादी सं. 1 को 0.113 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 2 को 0.536 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 3 को 0.914 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 4 को 0.577 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार तथा वादी सं. 6 को 0.042 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार घोषित करवा मृतक भानीराम पुत्र मलुराम का नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार चक 7 एन.टी.डब्लयु. के खाता सं. 10/70 में वादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार, वादी सं. 3 को 0.992 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार तथा वादी सं. 4 को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ्तकार घोषित करवा वादी सं. 1,5 व सहहिस्सेदारान का उक्त खाता की कृषि भूमि पर कब्जाकाफ्त नही होने के कारण नाम कलमजन किया जावे। व चक 16 बी.जी.पी के खाता सं. 74/47 में 0.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काफ्तकार तथा चक 7 एन.टी.डब्लयु. के खाता सं. 10/70 में 0.020 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काफ्तकार तथा चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 में 0.033 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काफ्तकार घोषित करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 के पं.नं. 164/162 के मु.नं. 33 के कि.नं. 11 की 0.013 है. कृषि भूमि का रास्ता मन्जुर करवा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

नियमानुसार पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो पत्रावली बाद तरतीब तकमील नं.म्बर से कम की जा जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया



(रामरख मीश्रा)
उप-जुज अधिकारी
उप-समर्थक अधिकारी,

संगरिया

19

डिगरी एवं मुकद्दमें इब्दादाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत-न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बइजलास — रामरख भीना (आर.ए.एस.)

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मुखराम पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. संतराम पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. महावीर प्रसाद पुत्र दलीप सिंह जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्री भूपराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

-वादीगण

बनाम

1. मुन्नीदेवी पुत्री श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. भूपराम पुत्र श्री भानीराम जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. चावली देवी पत्नी श्री दलीप जाति बिश्नोईनिवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गुडडी देवी पुत्री श्री दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुभाष चन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. धर्मवीर पुत्र साहबराम जाति बिश्नोई निवासी जगतसिंह वाला 7 एन.पी.पी.ओ. जिला श्री गंगानगर (राज.)
7. तुलसीदेवी पत्नि श्री रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. राजीव पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. रिछपाल सिंह पुत्र श्री करनाराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जिला हनुमानगढ (राज.)

10. शान्ति देवी पत्नी राजा राम पुत्री श्री चुन्नी लाल निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.)
11. विद्यादेवी पत्नी रामस्वरूप पुनिया पुत्री श्री चुन्नी लाल निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)
12. विजय लक्ष्मी पत्नी राम गोपाल पुत्री श्री चुन्नी लाल निवासी पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राज.)
13. मुन्नी देवी पत्नी ओमप्रकाश भादू पुत्री श्री चुन्नी लाल निवासी खरलीया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राज.)
14. शीटा देवी पत्नी राजीव धारणीया पुत्री श्री चुन्नी लाल साकिन सक्ताखेडा तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरि.)
15. एम.जी.बी ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
16. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं तकसीम खाता

प्रकरण सं. 166/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड एडवोकेट मिन जामिन मुद्दई श्री महावीर बैरड़ एडवोकेट मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिग्री दी जाती है कि चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 74/47 में वादी सं. 1 को 1.740 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 2 को 1.002 है., कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 4 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 5 को 0.380 है., कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार तथा वादी सं. 6 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा वादी सं. 1,2 व 4 के हिस्से बंटवारानुसार घटाने व बढ़ाना चाहते है तथा वादी सं. 3 एवं अन्य सहहिस्सेदारान के पास उक्त खाता की कृषि भुमि पर कब्जाकाश्त नही होने के कारण नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 में वादी सं. 1 को 0.113 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 2 को 0.536 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 3 को 0.914 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 4 को 0.577 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार तथा वादी सं. 6 को 0.042 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा मृतक भानीराम पुत्र मलुराम का नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 10/70 में वादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार, वादी सं. 3 को 0.902 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार तथा वादी सं. 4 को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा वादी सं. 1,5 व सहहिस्सेदारान का उक्त खाता की कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त नही होने के कारण नाम कलमजन किया जावे। व चक 16 बी. जी.पी के खाता सं. 74/47 में 0.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार तथा चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 10/70 में 0.020 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार तथा चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 में 0.033 है. कृषि भूमि के ब. हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी के खाता सं. 149/128 के पं.नं. 164/162 के मु.नं. 33 के कि.नं. 11 की 0.013 है. कृषि भूमि का रास्ता मन्जुर करवा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

उप-डप्ट अधिकारी
संगरिया

(अ.) वादी सं. 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भानीराम हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:- 79

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/163	44	1.2/0.253 है.प्र., 3/0.126 है., 10/0.116 है., 22/0.233 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/0.228 है.

मुम. 1.715 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 1.740 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	20/2/0.113 है.

कुल 0.113 है. मुम. कृषि भूमि

(ब) वादी सं. 2 मुखराम पुत्र श्री भानीराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/163	44	16/0.228 है., 17,18/0.253 है.प्र., 19/0.243 है.

मुम. 0.977 है. + गै.मु. 0.025 है., कुल 1.002 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	20/4/0.030 है.
164/162	33	19,22/0.253 है.प्र.

कुल 0.536 है. मुम. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/164	11	7/0.253 है. कुल 0.253 है. मुम. कृषि भूमि

(स) वादी सं. 3 ओमप्रकाश पुत्र श्री भानीराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/162	32	20/5/0.047 है., 21/2/0.120
164/162	33	11/2/0.203 है., 20,21/0.215 है.प्र.

मुम. 0.800 है. + गै.मु. 0.114 है., कुल 0.914 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
164/164 11 3/0.243 है, 4/0.253 है, 5/0.228 है,
8/0.243 है.

मुम. 0.967 है. + गै.मु. 0.025 है, कुल 0.992 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
(द) वादी सं. 4 संतराम पुत्र श्री भानीराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि:-
चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
165/163 43 1/0.228 है.

मुम. 0.228 है. + गै.मु. 0.025 है, कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं. मु.नं. कि.नं.
165/162 32 21/2/0.091 है.
164/162 33 24/0.243 है, 25/0.243 है.
कुल 0.577 है. मुम. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
164/164 11 6,15/0.228 है.प्र, 13,14/0.253 है.प्र.

मुम. 0.962 है. + गै.मु. 0.050 है, कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(य) वादी सं. 5 महावीर प्रसाद पुत्र श्री दलीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि
भूमि:-चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
164/163 44 3/1/0.127 है, 4/0.253 है.
कुल 0.380 है. मुम. कृषि भूमि


(र) वादी सं. 6 सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्री भूपराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि
भूमि:-चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
164/163 44 5/0.228 है.

मुम. 0.228 है. + गै.मु. 0.025 है, कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं. मु.नं. कि.नं.
165/162 32 21/1/0.042 है.

कुल 0.042 है. मुम. कृषि भूमि



21
अधिकारी
मर्यादा

81
वादी सं. 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भानीराम, वादी सं. 2 मुखराम पुत्र भानीराम, वादी सं. 3 ओमप्रकाश पुत्र भानीराम, वादी सं. 4 संतराम पुत्र श्री भानीराम, वादी सं. 5 महावीर प्रसाद पुत्र दलीप सिंह, वादी सं. 6 सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भूपराम के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की ब.हि.ब की कृषि भूमि:- चक 16 बी.जी.पी. खाता संख्या 74/47 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/163	44	10/3/0.010 है., 19/0.010 है., 22/2/0.020 है. कुल 0.040 है. मुम. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता संख्या 149/128 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/162	33	11/0.013 है., 21/0.010 है., 22/1/0.010 है. मुम. 0.020 है. + गै.मु. 0.013 है., कुल 0.33 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 10/70 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/164	11	3/1/0.10 है. 8/1/0.010 है.

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे ।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15/12/20 को खुले न्यायालय में जारी किया गया

21
उप (सामग्र्य मीनारी)
संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया